संख्या-17/2024/3735/22-2-2023-17(460)/2022

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 जनवरी, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र उर्फ बाबा पुत्र श्री दफेदार, निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-30070/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05-09-2023) दिनांक-04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र उर्फ बाबा पुत्र श्री दफेदार, टिकैतपुरा, थाना-राजा का रामपुर, जनपद-एटा का निवासी है, दिनांक 02.06.1999 को बंदी ने 09 वर्षीय टिंकू उर्फ आशीष के साथ गुदा मैथुन करने के उपरान्त गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-653/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 377 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं0-3, एटा के आदेश दिनांक 17.11.2003 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णीत करते हुए आदेश दिनांक 24.11.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, द्वारा दिनांक 31.05.2023 तक अपरिहार 19 वर्ष 07 माह 29 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष 02 माह 03 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, एटा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.11.2022 की आख्या तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य होने, सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 02.06.1999 को 09 वर्षीय टिंकू उर्फ आशीष के साथ गुदा मैथुन करने के उपरान्त गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतेन्द्र उर्फ बाबा पुत्र श्री दफेदार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र उर्फ बाबा (बन्दी संख्या-22493) पुत्र श्री दफेदार, निवासी जनपद-एटा को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-17/2024/3735(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-276/2023 रामपाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश 01.09.2023 व दिनांक 06.10.2023 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-17/2024/3735/22-2-2023-17(460)/2022

दिनांक 18 जनवरी, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र उर्फ बाबा पुत्र श्री दफेदार, टिकैतपुरा, थाना-राजा का रामपुर, जनपद-एटा का निवासी है, दिनांक 02.06.1999 को बंदी ने 09 वर्षीय टिंकू उर्फ आशीष के साथ गुदा मैथुन करने के उपरान्त गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-653/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 377 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं0-3, एटा के आदेश दिनांक 17.11.2003 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णीत करते हुए आदेश दिनांक 24.11.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, द्वारा दिनांक 31.05.2023 तक अपरिहार 19 वर्ष 07 माह 29 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष 02 माह 03 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, एटा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.11.2022 की आख्या तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य होने, सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 02.06.1999 को 09 वर्षीय टिंकू उर्फ आशीष के साथ गुदा मैथुन करने के उपरान्त गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतेन्द्र उर्फ बाबा पुत्र श्री दफेदार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।